न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना आई.ए.एस
अपील संख्या 286/2014 एल आर एक्ट
अनवान प्रसन्नकौर बनाम गुरबक्ससिह वगैरह

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
11–04–2019	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण श्री विजय कुमार एवम् रेस्पोडेन्ट सं03 के अभिभाषक श्री नायबसिह एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थीयान श्री विजय कुमार ने विड्रा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्टान उक्त अपील को आगे चलाना नही चाहते हैं, अतः अपील विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जावे । रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अभिभाषक श्री नायबसिह ने प्रार्थीयान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना विड्रा प्रार्थना पत्र पर (NO Objection) अनापत्ति किया। हमने अभिभाषक प्रार्थीयान की ओर से पेश विड्रा प्रार्थना पत्र एव पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील इस न्यायालय में अपीलांट प्रसन्नकौर द्वारा अपने मुखत्यारआम दयाकौर जरिये अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक के द्वारा दिनांक 09.07.2002 को अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 14.06.2002 के विरूद्व पेश की गई । अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट के निमित सम्मन जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। दिनांक 16.10.18 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से श्री नायबसिह एडवोकेट ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रसन्न कौर की मृत्यु दिनांक 03.04.2005 को तथा प्रसन्नकौर की मुख्तयारआम दयाकौर की मृत्यु दिनांक 15.02.2017 हो चुकी हैं। उसके बाद अभिभाषक अपीलान्ट श्री विजय कुमार पारीक ने दिनांक 04.12.2018 को प्रार्थियान चरणजीत कौर बेवा कोमल सिह, हरसिमरन,जसनदीप की ओर से प्रार्थना पत्र एवं जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रसन्न कौर का देहान्त हो चुका है, अपीलान्ट प्रसन्नकौर द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की वसीयत प्रार्थियान के पति व पिता कोमल सिह के पक्ष में सन् 1986 मे कर दी गयी थी। इसलिए चरणजीत कौर बेवा कोमल सिह, हरसिमरन,जसनदीप को पत्रावली में अपीलान्ट प्रसन्नकौर के स्थान पर उन्हें अपीलान्टान दर्ज किया जावे। .....लगातार संभागीय आयुक्त बीकानेर	

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अभिभाषक श्री नायबसिह ने दिनांक 27.2.19 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट कथाकथित वसीयत के आधार पर अपना हक बताता है, जबकी वसीयत को निरस्त करने का दावा सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है अतः अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा अपील अबेट होने से निरस्त की जाने का भी निवदेन किया गया है।

यह पत्रावली वर्ष 2002 में पेश होने के पश्चात लम्बे समय तक अभिभाषक अपीलान्ट को पक्षकारों के निमित सम्मन पेश करने हेतु पाबन्द किया जाता रहा परन्तु अभिभाषक अपीलान्ट ने लम्बे समय तक न तो पक्षकारों के निमित सम्मन पेश किये और न ही अपीलान्ट प्रसन्नकौर की मृत्यु की सूचना न्यायालय को समय पर दी, जबकी अपीलान्ट प्रसन्नकौर कौर की मृत्यु वर्ष 2005 में हो गई थी। अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रसन्नकौर के जायज वारिसान कितने है, उसकी सूचना पेश नही की है, केवल वसीयत के आधार पर वारिसान बतलाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अभिभाषक श्री नायब सिह ने अपीलान्ट प्रसन्नकौर के वारिसानो को अपील में पक्षकार बनाने पर ऐतराज जताया है परन्तु उसके वारिसानों द्वारा पेश विड्रा प्रार्थना पत्र पर (NO Objection) अनापत्ति किया है, यह विरोधाभाषी स्थिती है।

प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स श्री विजय कुमार द्वारा लम्बे समय तक पक्षकारो के निमित सम्मन पेश नही करने तथा 13 वर्ष तक अपीलान्ट प्रसन्नकौर की मृत्यु की सूचना न्यायालय को नही देना उनकी त्रुटि को दर्शाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर